# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर
## पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

---

प्र.सं. 21/2023
जीसीएमएस नं. : 2023/46

1. दानाराम पुत्र भाग सिंह जाति कुम्हार निवासी 13एएस भागसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. रामलाल पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल निवासी 13 एएस भागसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. तहसीलदार राजस्व एवं भू.अ. श्रीविजयनगर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :—

1. श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री साहिब बाघला, अधिववता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार

—:: आदेश ::—

दिनांक : 28.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि —

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 13 एएस मु.नं. 86 प.नं. 204/476 कि.नं. 8,9,10 का कुल 0.759है. कमाण्ड रकबा में आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि चक 13 एएस मु.नं. 86 प.नं. 204/476 कि.नं. 1 में उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बट के साथ चिपते हुए दो बिस्वा रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी का जवाब दिनांक 28.08.2025 को बंद किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/725 दिनांक 11.07.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।
3. तहसीलदार श्रीवियजनगर/भू.अ.नि. वृत कूपली की रिपोर्ट के अनुसार चाहे गये रास्ते की परम आवश्यक्ता है। जोत तक पंहुचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का पूर्ण अभाव है। अब तक प्रार्थी चाहे गये रास्ते को ही टेडा मेडा उपयोग कर रहा है। केवल मात्र यही एक निकटतम रास्ता है। चाहा गया रास्ता व्यवहारिक है।
4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा एवं वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांछित मार्ग स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थी से रास्ता की एवज में नियमानुसार मुआवजा राशि दिलाई जावे तथा रास्ता स्वीकृत करने के उपरान्त रास्ते को सही स्थान पर उपयोग योग्य बनाने हेतु प्रार्थी को पाबंद किया जावे और अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी प्रार्थी द्वारा रास्ता की एवज में नहीं करने बाबत प्रार्थी को पाबंद किया जावे। वकील प्रार्थी, प्रार्थी की ओर से वकील अप्रार्थी के उक्त कथनों के संबंध में सहमति प्रकट की।
5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार एवं रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा का गंभीरता से परिशीलन किया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है, वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा चाहा गया रास्ता ही निकटतम मार्ग है। ऐसे में न्यायालय का यह

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:05 IST
Reason: SelfAttested

समाधान हो गया है कि प्रार्थी द्वारा की जा रही रास्ता की मांग सुखाधिकार के लिए नहीं होकर अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

**—: आदेश :—**

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 13 एएस मु.नं. 86 प.नं. 204/476 कि.नं. 1 में उत्तर से दक्षिण दिशा दो विस्वा पश्चिमी पासा पत्थर लाईन के साथ साथ रास्ता स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अप्रार्थी को रास्ते में आई भूमि की एवज में रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि मुआवजा के तौर पर अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर रास्ता में आई भूमि पर प्रतिकर राशि की गणना कर नियमानुसार प्रार्थी से राशि जमा करवा अप्रार्थी सं. 1 को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें एवं स्वीकृतशुदा गैर मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

**निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:05 IST
Reason: SelfAttested